

तेलंगाना में अनुसूचति जातियों का उप-वर्गीकरण

स्रोत: द द्रिष्टि

हाल ही में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचति जातियों (SC) को चार अलग-अलग उप-समूहों (A, B, C और D) में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की है।

- यह घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक नरिणय के बाद हुआ है जिसमें राज्यों को आरक्षण के प्रयोजनों के लिये अनुसूचति जातियों (SC) और अनुसूचति जनजातियों (ST) सहित [आरक्षण श्रेणियों को उप-वर्गीकृत](#) करने का अधिकार दिया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पुनर्विचार नरिणय में राज्यों को [पछिडेपन के वभिनिन स्तरों](#) के आधार पर [संवधान के अनुच्छेद 14](#) के तहत अनुसूचति जातियों और अनुसूचति जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति दी।
 - इसने फैसला सुनाया कि 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत, जो पहले केवल [अन्य पछिडा वर्ग \(OBC\)](#) पर लागू होता था (जैसा कि इंदरा साहनी मामले में उजागर किया गया था), अब एससी और एसटी पर भी लागू होना चाहिये।
 - यह भी माना गया कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी के लिये लागू हो; यदि परिवार के किसी सदस्य ने लाभ ले लिया है, तो दूसरी पीढ़ी इसके लिये अयोग्य हो।

और पढ़ें: [सर्वोच्च न्यायालय ने SC और ST उप-वर्गीकरण की अनुमति दी](#)